भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी. रोड, डाक थैला सं 5607
तिरुवनन्तपुरम-695 001

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. NO. 5607
THIRUVANANTHAPURAM-695 001

सं / No. P19/II/DRSSA-193/UP/ 2018-19

दिनांक / Date: 31 /01/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Revision of Pension/Family Pension of pre-2016 Pensioners and Grant of Dearness Relief to the Uttar Pradesh state civil/family pensioners @9% w.e.f. 01/07/2018.- reg

Ref: 1.SSA No.Pension (Misc)/ 2135 , dated: 17/12/2018 of the office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh.
2.Lr. No. 14/2018/G-3-312/X-2018-308/2016 dated:01/05/2018 of the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.
3.OM No.26/2018-G-3-397/X-2018-301/2000 T.C. dated: 14/11/2018 of the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E), Uttar Pradesh which encloses letters from the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh regarding the **Revision of Pension/Family Pension of pre-2016** Pensioners and grant of **Dearness Relief** to Uttar Pradesh State Government civil/family pensioners on the revised rate of **9% w.e.f. 01/07/2018**. The same is being placed in the official website of the office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link ***"Treasury endorsement of orders for other state pensioners"*** . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

31/1/19

Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

दूरभाष / Telephone: 0471-2330311 फैक्स / Fax: 0471-2330242 तार / Grams: ACCOUNTS TRIVANDRUM
ई-मेल / E-mail : agaekerala@bsnl.in Website : http://www.agker.cag.gov.in

P19|R|DRSSA|193

4|1|019 पंजीकृत

P19
382986
2|1|19

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402

पत्रांक:–पेंशन विविध / 2135

दिनांक:-17/12/2018

सेवा में,

Accountant General (A&E) Kerala,
P. B. No. 5607 Thiruvananthapuram. 695039

विषय:- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संसोधन एवं महंगाई राहत की स्वीकृति ।

शासनादेश:- 1-संख्या-14/2018/सा-3-312/दस-2018-308/2016, दिनांक 01-05-2018
2-संख्या-26/2018/सा-3-937/दस-2018-301/2000 टी०सी० दिनांक 14-11-2018

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेशों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने कि कृपा करें ।

संलग्न:- यथोपरि ।

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

संख्या-14/2018/सा-3-312/दस-2018-308/2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक: 01 मई, 2018

विषय: वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन के विषय में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016, दिनाँक 23-12-2016, शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस-2017, दिनाँक 18-07-2017 एवं शासनादेश संख्या-31/2017-सा-3-524/दस-2017, दिनाँक 04-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासनादेश दिनाँक 18-07-2017 एवं 04-09-2017 के संदर्भ में शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन माँगा जा रहा है कि दिनांक 01-01-2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 01-01-2016 से लागू पे-मैट्रिक्स में समवर्ती लेवल में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत / 30 प्रतिशत से कम न होने की व्यवस्था लागू है अथवा नहीं।

3- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार नोशनल रूप से निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा के आधार पर करते हुए किया जायेगा परन्तु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23-12-2016, शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश दिनांक 04-09-2017 की व्यवस्थाओं के अधीन दिनाँक 01-01-2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनाँक 01-01-2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के संगत पे-लेवल में न्यूनतम वेतन के क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम नहीं होगी भले ही सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा पूर्ण पेंशन हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा से कम हो।

4- यह आदेश दिनाँक 01-01-2016 से प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीया,
अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या-14/2018/सा-3-312(1)/दस-2018, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक,पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Registered

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL(A&E)-II,
20, SAROJINI NAIDU MARG,U.P., ALLAHABAD
Phones: Off. 2622625-26,Fax: 0532-2624402

Letter No. Pension Misc./2135
Dated: 17/12/2018

To

The Accountant General (A&E), Kerala
P. B. No. 5607, Thiruvananthapuram – 695039

Sub: Revision of Pension/Family Pension of pre-2016 Pensioners and Sanction of Dearness Relief – reg.

G.O.: 1. No. 14/2018/Gen.-3-312/X-2018-308/2016 dated 01.05.2018
2. No. 26/2018/Gen-3-937/X-2018-301/2000 T.C. dated 14.11.2018

Sir,

Copy of above Government Orders issued by the Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 Department is being sent enclosed herewith.

Hence you are requested to kindly circulate the above orders to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction with the direction to take action as per rules and forward a copy to this office also.

Encl. : as above

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/Pension Misc.

No. 14/2018/Gen.3-312/X-2018-308/2016

From

Alkananda Dayal
Secretary
Government of Uttar Pradesh

To

1. All Addl Chief Secretary/Prl Secretary/Secretary, Government of Uttar Pradesh
2. All Heads of the Departments/Heads of Main Offices, Uttar Pradesh

Finance (General) Section-3 Lucknow, dated 01 MAY 2018

Sub: Revision of Pension/Family Pension of Pre-2016 Pensioners - reg.

Sir,

Kindly refer to Government Order No. 39/2016-Gen.3-923/X-2016 dated 23.12.2016, Government Order No. 23/2017-Gen-3-329/X-2017 dated 18.17.2017 and Government Order No. 31/2017-Gen-3-524/X-2017 dated 04.09.2017 issued by the Finance (General) Section-3 regarding revision of pension of pre-2016 pensioners and family pensioners.

2- With reference to Government Orders dated 18.07.2017 & 04.09.2017, guidelines are being sought for from the Government in this regard that whether the provision is applicable that the amount of revised pension/family pension from 01.01.2016 shall not be less than 50% / 30% of the minimum pay in the corresponding level of pay matrix applicable from 01.01.2016.

3- In this regard it is clarified that the revision of pension of pre-2016 pensioners shall be done by fixation of pension on the basis of the qualifying service of the retired employee based on the pay fixed notionally as per Government Order dated 18.07.2017 read with Government Orders dated 04.09.2017, but the amount of revised pension/family pension from 01.01.2016, under the provisions of the above Government Order dated 23.12.2016, Government Order dated 18.07.2017 read with Government Order dated 04.09.2017, shall not be less than 50% and 30 % respectively of the minimum pay in corresponding pay level of pay matrix applicable from 01.01.2016, in any case, even though the qualifying service of the retired employee is less than the qualifying service required for full pension.

3. These orders shall deemed to be effective from 01.01.2016

Yours faithfully,
Alkananda Dayal
Secretary

No.14/2018/Gen-3-312(1)/X-2018, dated as above

Copy forwarded to the following for information & necessary action :-

1. The Principal Secretary, Honourable Governor, Uttar Pradesh
2. The Prl Secretary, Legislative Assembly/Legislative Council, Uttar Pradesh
3. The Accountant General (A&E),I &II, Uttar Pradesh, Allahabad
4. The Registrar General, Honourable High Court, Allahabad
5. The Director, Treasury, Uttar Pradesh, Jawahar Bhawan, Lucknow
6. The Director,Dircetorate of Pension, Uttar Pradesh, 8thFlour, Indira Bhawan, Lucknow
7. The Director, Financial Management Training & Research Institute, Uttar Pradesh, Lucknow
8. All Section of Secretariat
9. The Director, Information & Public Relations Department, Uttar Pradesh, Lucknow
10. All Addl/Joint Director, Treasury & Pension, Uttar Pradesh
11. All Chief/Senior Treasury Officer, Uttar Pradesh

By orders,
Neel Ratan Kumar
Special Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या- 26 /2018/सा-3-937/दस-2018-301/2000 टी0सी0
लखनऊ : दिनॉक : 14 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-11/2018/सा-3-271/दस-2018-301/2000 टी0सी0 दिनॉक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा दिनांक 01-01-2018 से महँगाई राहत की दर 05 प्रतिशत से बढ़ाकर 07 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जुलाई, 2018 से महँगाई राहत की 02 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 07 प्रतिशत से बढ़कर दिनॉक 01 जुलाई, 2018 से 09 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No. 26/ 2018-G-3-937 / X-2018-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow : 14 november, 2018

Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

Vide Government order No. 11/2017 /Sa-3-271/ X- 2018- 301 / 2000 TC dated April 23, 2018 the dearness relief admissible to pensioners / family pensioners of the state was increased from 05 percent to 07 percent w.e.f January 01, 2018.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 02 percent w.e.f. July 01, 2018 on the pension/ family pension revised / determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee 2016.

3- As a consequence of the above-mentioned 02 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 07 percent to 09 percent with effect from July 01, 2018.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा चुके हैं।

6- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महॅगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- मॅहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे ।

(अलकनंदा दयाल)
सचिव, वित्त।

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have already been issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

(Alaknanda Dayal)
Secretary, Finance.

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।